NT>

Title: Need to amend forest laws to ensure all-round development of ST dominated Narmada District in Bharuch Parliamentary Constituency, Gujarat - Laid.

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): अध्यक्ष महोदय, वन संबंधी कानूनों से मेरे भरूच संसदीय क्षेत्र के नर्मदा जिले के डीडीया पाडा और सगवारा तहसीलों के आदिवासी लोगों के विकास को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। रिजर्व फोरेस्ट कानून के चलते यहां के आदिवासी के खेतों को सिंचाई हेतु डैम नहीं बनाये जा सकते, आने जाने के लिए रोड नहीं बना सकते, पशुओं के पानी और खेतों की सिंचाई के लिए तालाब और छोटी छोटी नहर नहीं बनाई जा सकती है। कैसा विरोधाभास है कि वनों के कानूनों से वनवासियों को ही नुकसान पहुंच रहा है।

मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा आदिवासी क्षेत्रों में इन कानूनों को इतना कठोर नहीं बनाया जाये और इन कानूनों को इस प्रकार से संशोधित किया जाये कि आदिवासी लोगों का विकास आसानी से किया जा सके।